

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नौतनवां, जनपद-महराजगंज।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किशत की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-118/2016/आरएफ-1155 /नौ-9-2016-47आरएफ/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषद, नौतनवां, जनपद-महराजगंज को धनराशि ₹0 347.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में धनराशि ₹0 100.00 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-118/2016/आरएफ-1155 /नौ-9-2016-47आरएफ/16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नौतनवां, जनपद-महराजगंज को अवशेष धनराशि कुल ₹0 247.84 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

- (1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक -6215-जलपूति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मल- जल तथा सफाई-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर

- 2 -

विकास योजना-0302 नगर पालिका परिषदे-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या-118/2016/आर.एफ.1155/नौ-9-2016-47आर.एफ./16 दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)

✓ संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2017/आर.एफ. 5 | (1)/नौ-9.2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0 ।
3. कोषाधिकारी, महराजगंज।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, 30प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

01C

आज्ञा से,



(श्रवण कुमार सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-13/01/2017

प्रेषण संख्या:- 23
आवंटन आदेश संख्या:- 001-23-2017-RF51-9-9-17-47RF-16
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	24784000	24784000
		प्रगामी	41784000	41784000
	योग	वर्तमान	24784000	24784000
		प्रगामी	41784000	41784000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ सत्रह लाख चौरासी हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी